


# राजस्व बढ़ाने में जुटा एनएमआरसी

जागरण संवाददाता, नोएडा : नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन (एनएमआरसी) एक्वा लाइन पर स्थित स्टेशनों की को-ब्रांडिंग के जरिए रकम जुटाने में जुट गया है। यह प्रक्रिया बिड के जरिए की जा रही है। ऐसे में जो कंपनी बिड हासिल करेगी, उसे स्टेशन के नाम का अधिकार दिया जाएगा। यह अधिकार कंपनी को पांच साल के लिए दिया जाएगा। इसके लिए कंपनी को एकमुश्त राशि एनएमआरसी के खाते में जमा करानी होगी। इससे राजस्व में बढ़ोतरी के साथ मेट्रो का संचालन किया जाएगा। वर्तमान में एनएमआरसी ने अब तक पांच स्टेशनों की को-ब्रांडिंग की है। बताया गया कि इन पांचों स्टेशनों से प्रति वर्ष करीब 5.5 करोड़ रुपये का राजस्व एनएमआरसी को मिलेगा। इसके अलावा अब मेट्रो रैपिंग की जाएगी।

एनएमआरसी का संचालन 25 जनवरी को शुरू किया गया। संचालन के दौरान एक्वा लाइन से 13 हजार मुसाफिरों सफर कर रहे थे। तीन माह में मुसाफिरों की संख्या में 30 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। यानी 13 हजार से बढ़कर मुसाफिरों की संख्या 17 हजार के आसपास पहुंच चुकी है। मुसाफिरों की संख्या को और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि राजस्व में बढ़ोतरी की जा सके। इसके अलावा को-ब्रांडिंग के जरिए भी राजस्व में इजाफा किया जा रहा है। एनएमआरसी के कुल 21 मेट्रो स्टेशनों में



सेक्टर-137 स्थित एक्वा लाइन मेट्रो स्टेशन • फाइल फोटो



6 पांच स्टेशन का अलॉटमेंट निजी कंपनियों को को-ब्रांडिंग के लिए कर दिया गया है, चुनाव आचार संहिता

खत्म होते ही फिर से टेंडर निकाला जाएगा, जिससे कंपनियों की ओर से को-ब्रांडिंग के लिए आवेदन किया जा सके। - पीडी उपाध्याय, कार्यकारी निदेशक, एनएमआरसी

पांच स्टेशनों की को-ब्रांडिंग की जा चुकी है। इसमें पहला नोएडा सेक्टर-137 है। इस स्टेशन पर को-ब्रांडिंग का अधिकार इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है।

इसी तरह नोएडा सेक्टर-142 स्टेशन का अधिकार एडवंट आइटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड, नॉलेज पार्क-2 का

## राजस्व बढ़ाने को प्रयास

- स्टेशन और मेट्रो को फिल्म शूटिंग के लिए बुक करना
- मेट्रो रैपिंग के जरिये राजस्व में की जाएगी बढ़ोतरी
- एक्वा के एफओबी व कॉरिडोर पर हो सकता है विज्ञापन
- सेक्टर-94 में मेट्रो मॉल में विज्ञापन व दुकानों के जरिये राजस्व में बढ़ोतरी

अधिकार फ्रेंक एडवर्टाइजर, परी चौक का अधिकार जय प्रकाश एसोसिएट लिमिटेड व अल्फा-1 का अधिकार टूरस फिनिसिएल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है।